Prabhat Khabar (Date: - 23/07/2019)

काम की खबर 14 जिलों में खुलेगा इएसआइ डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय

शेष 22 जिलों में इएसआइ योजना जल्द

संवाददाता ▷ पटना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइ) ने बिहार के सभी 38 जिलों में इएसआइ योजना लागू करने की स्वीकृति दे दी है. फिलहाल यह योजना 16 जिलों में लागू है. शेष 22 जिलों में योजना लागू होने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे मंत्रालय को स्वीकार कर लिया गया है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर इएसआइ की ओर से अब तक स्वीकृत 16 जिलों में से सिर्फ आरा और बेगूसराय में ही शाखा कार्यालय के साथ डिस्पेंसरी चल रहा है. शेष 14 जिलों में भी इएसआइसी डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय खोलने की तैयारी चल रही है.

करेंगे ऑनलाइन रेफर भी

साथ ही नव स्वीकृत 22 में से नौ जिलों मधुबनी, औरंगाबाद, पूर्णिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, सुपौल, सहरसा, अरवल व गोपालगंज में भी डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय की सुविधा इएसआइ योजना की अधिसूचना होते ही शुरू हो जायेगी. शेष 13 जिले भागलपुर, सारण, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी व वैशाली में डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय अगले फेज में खोला जायेगा. क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय संबंधित जिलों में सभी प्राथमिक व द्वितीय चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले पैनल डॉक्टर, डिस्पेंसरी, टाइअप अस्पताल आदि के बीच समन्वय बनायेंगे व चिकित्सा के लिए टाइअप अस्पताल में ऑनलाइन रेफर भी करेंगे. नये डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय के लिए किराये के भवन के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और जल्द इन्हें खोला जायेगा.